मध्यप्रदेष सहकारी समितियां और मत्स्य उत्पादन–विष्लेषणात्मक अध्ययन

शोधार्थी– कीर्ती सिंह

शोध केन्द्र– सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर

(स्वषासी) महाविद्यालय, षिवाजी नगर भोपाल

बरकतउल्ला विष्वविद्यालय (म.प्र.)

वाणिज्य संकाय के अंतर्गत

शोध सारांष– *भारत वर्ष में सहकारिता का विधिवत् इतिहास तो 1904 में सहकारिता अधिनियम लागू होने से माना जा सकता है। मध्यप्रदेष मत्स्य सहकारी मर्यादित का गठन राज्य शासन द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था के रूप में गठन किया गया है। सहकारिता का अभिप्राय साथ मिलकर काम करने से है।*

मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ एक आई. एस. ओ. 9001:2008, प्रमाणित संस्था है। राज्य शासन द्वारा 31.7.99 मत्स्य विकास निगम का समापन कर समस्त आस्तियाँ एवं दायित्वों सहित संविलियन मत्स्य महासंघ में किया गया। तत्पष्चात् ही महासंघ क्रियाषील हुआ है। इस संस्था का मुख्य उद्देष्य शासन द्वारा 1000 हेक्टर के बड़े एवं मध्यम जलाषयों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर मत्स्य विकास करना एवं महासंघ के जलाषयों में कार्यरत मछुओं तथा उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित करते हुए सामाजिक, आर्थिक उन्नति करना है।

मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ के द्वारा अपने सदस्यों के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, जैसे – आजीविका सहयोग योजना, जलदीप योजना, षिक्षा प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना आदि। इन योजनाओं के माध्यम से समिति के सदस्यों के जीवन –स्तर में काफी सुधार हुआ है। प्राथमिक स्तर व जिला स्तर पर मत्स्य उत्पादन का कार्य समितियों के माध्यम से प्रांरभ किया जाता रहा है, कुछ समितियों ने अपने लक्ष्यों कों प्राप्त कर निरन्तर आगे बढ़ रही है। इनलेण्ड वॉटर क्षेत्र में "बेस्ट को ऑपरेटिव सोसायटी" के अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसके साथ ही जलाषयों की उत्पादकता बढ़ाकर मत्स्य सहकारी समिति ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। *प्रस्तुत शोध में मध्यप्रदेष मत्स्य समिति की उपलब्धियों व मध्यप्रदेष मत्स्य समिति के माध्यम से सदस्य मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार व मछुआरों को प्राप्त सुविधाओं का उल्लेख किया गया है।*

प्रस्तावना

सहकारिता शब्द सह+कार दो शब्दों से मिलकर बना है। सह शब्द का आषय मिलकर तथा कार शब्द का मतलब काम से है। अतः सहकारिता का अभिप्राय साथ मिलकर काम करने से है। सहकारिता का सिद्धांत उतना ही पुराना है, जितना की मानव समाज। मानव का सामाजिक एवं घरेलू जीवन सहयोग के बिना संभव नहीं है। यह सहयोग एवं सहकार ही मानव की सामूहिक प्रवृत्ति एवं भावना है, जो उसे साथ रहने , मिलकर कार्य करने तथा कठिनाइयों में एक –दूसरे की सहायता करने हेतु प्ररित करती है। सहकारी समिति ऐसे व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है जिनके आर्थिक साधन सीमित है, जिन्हें सहकारी सेवाओं की आवष्यकता है और एक साथ काम करने को तैयार है।[1]

मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल की स्थापना

मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, का गठन राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेष सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था के रूप में गठन किया गया है। इसका पंजीयन क्रमांक भोपाल/मुख्यालय 195 दिनांक 05. 05.1987 है, तथा मुख्यालय भदाभदा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, भोपाल पर स्थित हैं।

मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ एक आई. एस. ओ. 9001:2008, प्रमाणित संस्था है। राज्य शासन द्वारा दिनांक 31.07.99 को मत्स्य विकास निगम का समापन कर समस्त आस्तियाँ एवं दायित्वों सहित संविलियन मत्स्य महासंघ में किया गया। तत्पष्चात् ही महासंघ क्रियाषील हुआ है। इस संस्था का मुख्य उद्देष्य शासन द्वारा 1000 हेक्टर के बड़े एवं मध्यम जलाषयों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर मत्स्य विकास करना एवं महासंघ के जलाषयों में कार्यरत मछुओं तथा उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित करते हुए सामाजिक, आर्थिक उन्नति करना है।

उद्देष्य–मध्यप्रदेष मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से समिति सदस्यों व मछुआरों के विकास में योगदान का अध्ययन।

[1]डा. बी. एस. माथुर,2001, सहकारिता, साहित्य भवन पब्लिषर्स एण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स

शोध प्रविधि– साक्षात्कार, प्रष्नावली, अवलोकन।

भविष्य में संभावनाएं–

- मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ का आर्थिक विष्लेषण–एक अध्ययन।
- मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ के माध्यम से विकास –एक अध्ययन।

विष्लेषण–

1.1 मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ

मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ के माध्यम से 2000 हेक्टयर से बड़े जलाषयों का प्रबंधन सहकारिता के माध्यम से करते हुए सदस्य मछुआरों एवं उनके परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है।

1.3 मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

- मत्स्य महासंघ के पास 22 जलाषय जिसका औसत जलक्षेत्र 2.13 लाख हेक्टयर मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध है इसके अतिरिक्त 05 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र जिसमें 20.50 हेक्टयर संवर्धन क्षेत्र एवं 197 ग्रामीण पोखर जिनका संवर्धन क्षेत्र लगभग 394.36 हेक्टयर मत्स्य बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध है।
- महासंघ के पास 05 हैचरियाँ जिनकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 4000 लाख स्पान उत्पादन उपलब्ध है।
- जलाषयों के विकास हेतु महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष अच्छी गुणवत्ता का एवं बड़ी साईज का मत्स्य बीज जलाषयों में संचय किया जाता है। हाल ही में महासंघ द्वारा उसके जलाषयों में मत्स्य बीज संचय हेतु मत्स्य बीज संचय नीति तैयार की गई है।
- जलाषयों में मत्स्याखेट का कार्य स्थानीय मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है जिस हेतु उन्हें आकर्षक प्रतिषत का भुगतान किया जाता है। वर्तमान प्रतिफल दरें मछली की श्रेणी अनुसार रू. 26 एवं 15 रू. प्रति किलो निधार्रित है जो देष में सर्वाधिक है।
- 2015–16 में महासंघ के जलाषयों में 172 समितियों के 6525 सदस्य कार्यषील है। जिसमें से जलाषयों में औसतन 2796 मछुआरें प्रतिदिन कार्य करते है।
- जलाशयों से आखेटित मछली का विक्रय आउटसोर्स नियुक्त कर उसके माध्यम से किया जाता है। आउटसोर्स की नियुक्ति ई–टेन्डर प्रक्रिया से निविदा आंमत्रित कर सर्वाधिक दर देने वाले निविदाकार के माध्यम से की जाती है।

1.4 महासंघ द्वारा मछुओं के कल्याण के लिये कई कल्याणकारी योजनाऐं चलाई जा रही है–

- मछुओं एवं उनके परिवार के सदस्यों को केन्द्र शासन की **दुर्घटना बीमा योजनांतर्गत बीमित** किया जाता है। जिससे कार्य के दौरान या किन्हीं कारणों से दुर्घटना में मृत्यु /स्थाई विकलांगता के लिये रू. 2 लाख राषि एवं आंषिक विकलांगता की स्थिति रू. 1 लाख की राषि आश्रित सदस्य को उपलब्ध होती है। मछुवारों से कोई प्रीमियम राषि नहीं ली जाती हैं।
- बंद ऋतु में मछुओं की आजीविका के लिये केन्द्र शासन की बचत राहत योजना के अंतर्गत मछुओं को बंद ऋतु में 1800 रू. की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है।
- महासंघ द्वारा मछुओं एवं उनके परिवार के सदस्यों को जनश्री बीमा योजनांतर्गत भी बीमित किया जा रहा है। इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु एवं पूर्ण अषक्ता होने पर राषि रू. 75000/– एवं एक अंग क्षति होने पर राषि रू. 37000/– की राषि प्राप्त होती है इसके अतिरिक्त योजना में मछुओं के नौंवी से बारहवीं कक्षा में अध्यनरत् दो बच्चों को प्रति तीन माह में 300 रू. छात्रवृत्ति भी प्राप्त हो रही है।
- बंद ऋतु में मछुओं की आजीविका हेतु महासंघ द्वारा **आजीविका सहयोग योजना चलाई जा रही है** जिसमें पूर्व में रू 2/– प्रति किलों का अंष मछुओं एवं महासंघ द्वारा देय होता था। चालू वर्ष में इस (2015–16) राषि में वृद्धि कर आखेटित मछली पर रू. 3/– किलो की दर से राषि मछुओं के वैजेस से काटी जाकर एवं इतनी ही राषि महासंघ द्वारा मिलाई जाकर बंद ऋतु के दौरान मछुओं को रू. 6/– प्रति किलो के मान से वितरित की जाएगी।
- विगत 3 वर्षो में मछुओं के पारिश्रमिक में वृद्वि होने से प्रति मछुआ प्रति दिन आय रू .277/– से बढ़कर रू. 401/– प्रतिदिन हो गर्द है।

- जलाषय के टापुओं एवं दूररूथ आंतरिक किनारों पर मत्स्याखेट हेतु अस्थाई रूप से निवासरत मछुओं को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु महासंघ द्वारा **जलदीप योजना चलाई जा रही है** जिससे स्वास्थ्य विभाग, महिला एव बाल विकास विभाग, षिक्षा विभाग आदि विभागों में प्रचलित योजनाओं का लाभ मछुआरों के कार्यस्थल पर ही उपलब्ध कराया जाता है।
- महासंघ द्वारा मत्स्याखेट हेतु मछुओं को 80 प्रतिषत अनुदान पर नाव एंव जाल उपलब्ध कराये जा रहे है। इसके अतिरिक्त केन्द्र शासन की आर. के व्ही. वाय योजना से 50 प्रतिषत अनुदान पर भी नाव एवं जाल मुहैया कराये जा रहे है।[2]
- महासंघ द्वारा मछुआरों के बच्चों को षिक्षा के प्रति उत्साहित करने के उद्देष्य से 8 वीं , 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र–छात्रओं को **षिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत** राषि रु. 2000/– एवं रु. 1000/– प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। 80 प्रतिषत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 5000/–रु. का विषेष पुरूस्कार दिया जाता है।
- महासंघ के जलाषयों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली समितियों एवं मछुआरों को प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से उन्हें **प्रोत्साहन पुरूस्कार योजनांतर्गत** पुरूस्कृत किया जाता है। उत्कृष्ट समितियों को अधिकतम 50000/–रू. एंव मछुओं को अधिकतम 25000/– रु. का पुरूस्कार दिया जाता है।
- महसंघ द्वारा जलाषय में कार्यरत मछुआरों एवं उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर बिमारियों जैसे कैंसर,हदय रोग, किडनी रोग आदि के इलाज हेतु अधिकतम राषि रु. 20 हजार अनुदान स्वरूप दी जा रही थी। 2015–16 तक अति–गंभीर प्रकरणों में इस राषि में वृद्धि कर अनुदान राषि रु. 40000/– कर दी गर्द है।
- मत्स्य महासंघ के जलाषयों में कार्यरत पंजीकृत समिति से मछुआ सदस्य की मृत्यु पर तत्काल सहायता के रूप में महासंघ की ओर सक 7500/– रु. अनुगृह राषि आश्रितों को दी जाती है।
- शासन द्वारा मछुओं को नाव/जाल क्रय हेतु "0" प्रतिषत ब्याज पर ऋण मुहैया कराने के उद्देष्य से लागू **क्रेडिट कार्ड योजना** अंतर्गत वर्ष में 2981 मछुआरों के क्रेडिट कार्ड बनाए गये। वर्ष में 86.35 लाख का ऋण भी मछुआरों द्वारा लिया गया।
  जलाशयों में मत्स्य उत्पादन के साथ–साथ भीमगढ़ एवं इंदिरासागर जलाषय में झींगाा पालन का कार्य भी अनुमोदित नीति के तहत् प्रांरभ किया गया है। 2015–16 तक इन जलाषयों में 2.380टन झींगा उत्पादन हो चुका है।

  मत्स्य महासंघ एक स्ववित्त पोषी सहकारी संस्था है जिसे अपने नियमित कार्यो के संपादन हेतु राज्य शासन अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्थाओं से कोई राषि प्राप्त नहीं होती है। महासंघ, विभिन्न गतिविधियों का संचालन स्वयं के संसाधनों से आय अर्जित कर कर, करता है।

  कुषल प्रबंधन के कारण मत्स्य महासंघ विगत कई वर्षो से लाभ की स्थिति में चल रहा है। वर्ष 2015–16 में महासंघ राषि रु. 3082 लाख के लाभ में रहा है, जो अब तक का सर्वाधिक लाभ है।

  - मछुओं को मिलने वाली राषियों को सीधे उनके खाते में जमा किया रहा है।
  - मछुओं की आर्थिक स्थिति में निरतंर सुधार हो रहा है।

महासंघ द्वारा अर्जित ऐतिहासिक उपलब्धियाँ

- **ज**लाषयों की उत्पादकता राष्ट्रीय नार्म 12.5 किलो प्रति हेक्टयर है जबकि महासंघ के जलाषयों की उत्पादकता बढ़कर 54 किलो प्रति हेक्टयर प्रति वर्ष हो गई है जो कि ऐतिहासिक उपलब्धि है।
- मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यो के कारण जून 2013 में नई दिल्ली में आयोजित 16 वीं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी महासम्मेलन में उसे "उत्कृष्ट सहकारी संस्था" के अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- 21 नवंबर 2015 को नई दिल्ली में आयोजित विष्व मत्स्य दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेष महासंघ को इनलेण्ड वॉटर क्षेत्र में "बेस्ट को ऑपरेटिव सोसायटी" के अवार्ड से सम्मानित किया गया है।[3]

समस्याएं–

- मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी का अभाव रहता है जिससे ग्रामीणों तक सही लाभ नहीं पंहुच पाता।
- मध्यप्रदेष मत्स्य सहकारी समितियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

[2] izxfr izfrosnu] ekpZ 2016 rd e- iz- eRL; egla?k ¼lgdkjh½ e;kZfnr] Hkksiky

[3] izxfr izfrosnu] ekpZ 2016 rd e- iz- eRL; egla?k ¼lgdkjh½ e;kZfnr] Hkksiky

- समिति सदस्यों का पलायन भी मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ के समक्ष बड़ी समस्या है।
- षि़क्षित स्टाफ की कमी रहती है, जिससे कार्य संचालन में समस्या आती है।

सुझाव–

- मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ को अपनी चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए जिससे योजनाओं का सही लाभ मछुवारों व समिति सदस्यों तक पहुंच सके।
- अभिप्रेरणा कार्यक्रमो को चलाना चाहिए।
- अषिक्षित स्टॅाफ के लिए प्रषिक्षण कार्यक्रम चलाना चाहिए।

निष्कर्ष– किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि का सर्वश्रेष्ठ आधार सहकारिता है। यह कहावत भी प्रचलित है– **संघे शक्ति कलियुगे** इस युग में संगठन शक्ति ही सबसे महान है।

मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ सहकारी समिति के माध्यम से सहकारी समितियों ने अपने विकास में एक कदम और आगे बढ़ाया है, इस सहकारी समिति के माध्यम से मछुवारों के कल्याण के लिए कई कार्य किए गए है। और साथ ही मछुआरों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे –आजीविका सहयोग योजना, जलदीप योजना, षिक्षा प्रोत्साहन योजना आदि योजनाएं महासंघ द्वारा चलाई जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है।

मध्यप्रदेष मत्स्य महासंघ में कार्यरत मछुवारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु अनुदान राषि भी प्रदान की जाती है। म.प्र. मत्स्य महासंघ ने अपने सदस्यों के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई उनके माध्यम से समिति सदस्यों व मछुआरों का काफी विकास हुआ है और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। इनलेण्ड वॉटर क्षेत्र में "बेस्ट को ऑपरेटिव सोसयटी" के अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसके साथ ही जलाषयों की उत्पादकता बढ़ाकर मत्स्य सहकारी समिति ने एतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। म.प्र. मत्स्य महासंघ को षिाक्षित स्टॉफ की और शासन से सहयोग मिलने की आवष्यकता है, शासन के सहयोग से महासंघ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर और उँचाइयों तक जा सकता है। समितियों के सदस्यों को मछलीपालन से अधिक–से अधिक लाभ प्राप्त हो रहे है ।

महासंघ अपने सीमित साधनों के बावजूद प्रदेष के मछुआरों के विकास के लिए एवं उनके सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए सतत् प्रयासरत है।

संदर्भ ग्रथं सूची

वार्षिक प्रषासनिक प्रतिवेदन, सहकारिता विभाग, मध्यप्रदेष शासन,।

मध्यप्रदेष संदर्भ 2010।

डॉ. रमेष मंगल, अषोक तिवारी 2012,उद्यमिता विकास, साहित्य भवन पब्लिकेषन्स आगरा।

डा. बी. एस. माथुर,2001, सहकारिता, साहित्य भवन पब्लिषर्स एण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स।

डॉ. एम.आर.खान और डॉ. यूनुस खान सहकारिता विषेष महिला सहकारिता क्वालिटी पब्लिषिसंग कंपनी भोपाल ।

मध्यप्रदेष राज्य सहकारी संघ, भोपाल, प्रदेष में सहकारिता, उत्कृष्टता के साथ सतत् विकास।

प्रगति प्रतिवेदन, मार्च 2016 तक म. प्र. मत्स्य महसंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल

कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित।

ूण्उचेबनण्दपबण्पद